

CHAPTER - XII
ADVANCE RULING

**Rule 103 : Qualification and appointment of members of the Authority
for Advance Ruling**

¹[The Government shall appoint officers not below the rank of Joint
Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.]

1 Substituted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 01-07-2017.
Earlier to substitution it read as under:
"The Central Government and the State Government shall appoint officer of the
rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling."

अध्याय 12 अग्रिम विनिर्णय

नियम 103 : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति

¹[सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अत्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।]

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी।”